सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी

राजस्व वाद संख्या – 157 / 2011

1 भादूराम पुत्र रामकिशन माली
2 चतुर्भुज पुत्र रामकिशन माली
निवासी कादेडा तहसील केकड़ी

बनाम

1 रणजीत उर्फ शोकीन पुत्र रामकिशन माली
2 चांदी पुत्री रामकिशन माली
3 छग्गू पत्नि रामकिशन माली
निवासीगण कादेडा तहसील केकड़ी
4 राज. सरकार जर्ये तहसीलदार केकड़ी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 152 (सीपीसी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.05.2018	**आदेश** पत्रावली आज केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कादेडा में पेश हुई। जहां प्रार्थी / प्रतिवादी उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। विवरण निम्न प्रकार है। प्रार्थी / प्रतिवादी 1 ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 152 जाप्ता दीवानी का वास्ते इस प्रकरण में पूर्व निर्णय दिनांक 09.05.2016 के निर्णय व डिक्री में आंशिक संशोधन किये जाने हेतु पेश किया है जिसमें वादी द्वारा पूर्व वाद पत्र मुकदमा नम्बर 157 / 2011 उनवानी भादूराम बनाम रणजीत वगै. में जरिये राजीनामा निर्णय डिक्री दिनांक 09.05.2016 में संशोधन किये जाने हेतु पेश किया है जिसमें निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का प्रत्येक का 1 / 5 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 से 3 का प्रत्येक का 1 / 5 हिस्सा है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी 1 के पक्ष में रीलीज डीड हकत्याग किया जा चुका था जिसके कारण वादीगण 1 व 2 का 1 / 5–1 / 5 हिस्सा व प्रतिवादी 1 का 3 / 5 हिस्सा होना था जो सहवन से राजीनामा व निर्णया डिक्री में प्रतिवादी 1 का 1 / 3 हिस्सा अंकित कर बंटवारा प्रस्ताव के आदेश अंकित कर दिये गये है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा अपना 1 / 5–1 / 5 हिस्सा प्रतिवादी 1 के पक्ष में रीलीज करने से प्रतिवादी 1 का 3 / 5 हिस्सा होना था। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर पूर्व राजीनामा व निर्णय डिक्री में संशोधन कर वादीगण 1 व 2 का 1 / 5–1 / 5 हिस्सा व प्रतिवादी रणजीत उर्फ शोकीन का 3 / 5 हिस्सा का संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने उपस्थित पक्षकारान को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत पत्रावली में पूर्व निर्णय दिनांक 09.05.2016 जो कि वादी संख्या 2 चतुर्भुज व प्रतिवादी संख्या 1 रणजीत के मध्य राजीनामा हुआ था जिनकी पहचान तात्कालीन सरपंच आशाराम वैष्णव द्वारा की गई है। तथा राजीनामा हेतु प्रस्तुत कमेटी के सदस्यों के भी हस्ताक्षर के साथ पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक करने के पश्चात निर्णय डिक्री लिखा गया है। प्रस्तुत राजीनामा में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिखी गई इबादत निम्न प्रकार है– **हम सहखातेदारों को मौके पर काबिज अनुसार 1 / 3 हिस्से अनुसार बंटवारा कराने हेतु सहमत है।**	

उक्त राजीनामा उपस्थित पक्षकारान द्वारा स्वीकार कर बाद सुनकर बतोर सहमति के अपने हस्ताक्षर किये गये थे जो एक पंचो का फेसला होता है, तत्पश्चात ही न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री लिखा जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 152 जाप्ता दीवानी का वास्ते पूर्व राजीनामा दिनांक 09.05.2016 के अनुसार लिखे गये निर्णय डिक्री में संशोधन चाहा गया है जो एक पंचो का फेसला है जिसमें किसी प्रकार के हस्त संशोधन व हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली पुनः बंटवारा प्रस्ताव हेतु दिनांक को पेश हो।

आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया व केम्प कोर्ट में मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी